J.J.A. (H.C.J) - 2021

Dt. 17/04/2022.

Q. 1 The Apex Court in a case observed that an entry in a school register may not be a public document and, thus, must be proved in accordance with law. It was further held that an entry in a register maintained in the ordinary course of business by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of duty specially enjoined by law of the country in which such register is kept would be relevant fact only if the conditions mentioned in section 35 of the Evidence Act are fulfilled. Hence, the entry of date of birth in the admission form, the scholar register and transfer certificate must satisfy the conditions laid down in section 35 of the Evidence Act. Observation of the Apex Court are needs to be highlighted here. It is held that any document which is in consonance with public documents, such as matriculation certificate, could be accepted by the Court or the JJB provided such public document is credible and authentic as per the provisions of the Indian Evidence Act, 1872. For extent to which and how reliability of these documents is to be tested guidance may be taken from the observation in case wherein it was observed that "the Courts are not to conduce a roving inquiry into the correctness of school certificate or the date of birth certificate. It has been held that there may be situations where the entry made in the matriculation or equivalent certificates, date of birth certificate from the school first attended and even the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat may not be correct. But Court, JJB or a Committee functioning under the JJ Act is not expected to conduct such a roving inquiry and to go behind those certificates to examine the correctness of those documents, kept during the normal course of business. Only in cases where those documents or certificates are found to be fabricated or manipulated, the court, the JJB or the committee and to go for medical report for age determination.

J. J. A. (H.C.) 2021

Dt. 17/05/2022

Q 1. न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लेखित प्रत्येक दस्तावेज जिनको न्यायालय फीस से प्रभार्य बनाया गया है पर तब तक आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक फीस अदा नहीं की जाती। इसका तात्पर्य है कि न्यायालय फीस का भुगतान प्राथमिक शर्त है। यद्यपि परिस्थिति अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के अंतर्गत फीस के भुगतान हेतु समय दिया जा सकता है। किन्तु मामले में आगे कार्यवाही तभी करना चाहिए जब वांछित फीस भुगतान कर दी गई हो। प्रकरण के किसी भी स्तर पर यदि न्यायालय यह पाता है कि फीस कम भुगतान की गई है तब वह न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत किसी भी समय ऐसी कम भुगतान की गई फीस ली जा सकती है। यदि निर्णय के समय यह पाया जाता है कि फीस कम दी गई है तब डिक्री में यह शर्त अधिरोपित की जा सकती है कि डिक्री तब प्रभावी होगी जब देय फीस का पूर्ण भुगतान कर दिया जाए। ऐसी फीस निष्पादन न्यायालय में जमा की जा सकती है। दूसरा, शेष फीस भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने के निर्देश के साथ डिक्री की प्रति जिले के कलेक्टर को भेज सकता है। न्यायालय से यह अपेक्षित है कि प्रकरण के निराकरण के उपरांत अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराए जाने से पूर्व इस बात की संतुष्टि कर ले कि कहीं कोई फीस शेष तो नहीं है। अन्यथा धारा 28-ए के अनुसार प्रकरण का अभिलेख अभिलेखागार से पुन: वसूली हेतु न्यायालय को लौटाया जा सकता है। अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार अधिकतम न्यायालय फीस एक लाख पचास हजार रूपये है। इस तरह के वादों में जहां तक अनुतोषों में से कोई अनुतोष चाहा गया है वहां उस अनुतोष के लिए पृथक से न्यूनतम एक सौ रूपये के अध्यधीन रहते हुए न्यायालय फीस देय होगी।